म.प्र उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर

फॉर्म– डी

अस्वीकृति आदेश

(कृपया नियम 4(2) देखे)

No.RTIA/DR-HCIND/ 921 **Indore, Dated 07.05.2018**

द्वारा,

डिप्टी रजिस्ट्रार,
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ इन्दौर (म0प्र0)

प्रति,

श्री विजय सिंह यादव,
पिता – स्वर्गीय श्री राम सिंह यादव,
उम्र– 35 वर्ष, व्यवसाय–स्टूडेंट,
40, लक्ष्मी नगर, रतनेश्वर रोड,
रतलाम (म0प्र0) 457001

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में आपका आवेदन (नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प 50/– रू0) आवक कमांक 1102 दिनांक 03/05/2018 के माध्यम से प्राप्त हुआ है जो कि हमारे आई.डी. संख्या 04/2018–19 दिनांक 03/05/2018 में पंजीकृत किया गया है, के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा वांछित जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं की जा सकती है :–

1– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 गठित किया है जिसके नियम 7(1) के अनुसार एक भारतीय नागरिक आवेदक को 50/– रू0 शुल्क का भुगतान भारतीय न्यायिक स्टाम्प/ट्रेजरी चालान संलग्न करके फार्म "ए" पर आवेदक की स्वयं की स्वः हस्ताक्षरित तस्वीर चिपकाना आवश्यक है। आपने स्वयं की स्वहस्ताक्षरित लगी हुई तस्वीर वाला फॉर्म नंबर "ए" न प्रस्तुत करते हुए केवल 50/– रू0 का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत किया है और 50/– रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर ही तस्वीर लगाकर चाही गई जानकारी को टंकित किया है जो कि नियमानुसार सही नहीं है।

2– चूंकि 50/– रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प में टंकित (निराकृत प्रकरण डब्ल्यू.पी. 5839/2017 के संबंध में) चाही गई जानकारी (सूचना का अधिकार नियम 2006) के नियम 8(1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी देने हेतु बाध्य नहीं है, जो कि म0प्र0 उच्च न्यायालय नियम 2006 के चेप्टर 18 के अनुसार इस खण्डपीठ के कॉपिंग सेक्शन में नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करके तथा कॉपिंग फीस अदा करके प्राप्त की जा सकती है।

इस प्रकार, उपरोक्त कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा आपके आवेदन को निरस्त किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर) को अपील कर सकते हैं।

(राजेश कुमार शर्मा)
डिप्टी रजिस्ट्रार /
राज्य लोक सूचना अधिकारी